

पटना समाहरणालय, पटना।
(जिला-शस्त्र-शाखा)

-: आदेश :-

29.01.2013

26.02.2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-860/10 में आवेदक श्री ब्रजेन्द्र कुमार, पिता-श्री कार्यानन्द सिंह, सा0-राम प्रताप भवन, नियर टेलीफोन टावर नार्थ मंदिरी, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, स्थायी पता-बारा सोलहपुर, थाना-चन्द्रदीप, जिला-जमुई से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के जाँच प्रतिवेदन के साथ उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को मूल में संलग्न कर स्थाई पते पर सत्यापन कराने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई करने की बात प्रतिवेदित की गयी है।


पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा थानाध्यक्ष, चन्द्रदीप के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि थाना अभिलेख में इनके विरुद्ध कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा सत्यापन के क्रम में नाम/निवास स्थान सही पाया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक, विधि-व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है तथा थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी ने जाँचोपरान्त अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया है।

शस्त्र अधिनियम 1959, शस्त्र नियम 1962 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या-V-11016/16/2009-शस्त्र, दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश एवं प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री ब्रजेन्द्र कुमार, पिता-श्री कार्यानन्द सिंह, सा0-राम प्रताप भवन, नियर टेलीफोन टावर नार्थ मंदिरी, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, स्थायी पता-बारा सोलहपुर, थाना-चन्द्रदीप, जिला-जमुई को उनके जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर0 पिस्टल हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र प्रंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।
लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।